ऑन लाईन नं. GCMS 2021/2...

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : भवानी सिंह पंवार, आर.ए.एस.
न्याय निर्णयन आवेदन सं0 28/2021

श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

श्री अमित कुमार खुराना पुत्र श्री मंगतराम खुराना, जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नम्बर 13, चुनावढ, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
मैसर्स :– मंगतकुमार अमित कुमार मैन बाजार चुनावढ, श्रीगंगानगर।

विकेता एवं मालिक

अपराध अ0 धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 25.11.2021

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता दिनांक 26.10.2020 से कार्यालय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार खाद्य सरुक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 26.10.2020 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र में बताये है।

श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 13.11.2020 को दोपहर बाद 04.00 पी.एम. पर अमित कुमार खुराना पुत्र श्री मंगतराम खुराना, जाति अरोड़ा, निवासी वार्ड नम्बर 13, चुनावढ, फर्म मै. मंगतकुमार अमित कुमार मैन बाजार चुनावढ, श्रीगंगानगर पर पहुंचे, अपना परिचय दिया। वहां फर्म पर श्री हुकमचन्द अरोड़ा पुत्र श्री हरीराम अरोड़ा, जाति अरोड़ा निवासी वार्ड नम्बर 13, चूनावढ जिला श्रीगंगानगर विकेता एवं मालिक की हैसियत से मौजूद था एवं आम जनता को **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** बेच रहा था।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु दुकान में रखे **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** 1–1 लीटर पैक डिब्बे के 14 नग **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** विकय हेतु रखी हुई थी जिसमें से वास्ते नमूना जांच 04 डिब्बे **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** लिया जिसके पेटे 1680/– रूपये नगद देकर गवाहान , विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** को एक रूप किया एवं इस एक रूप किये हुए **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** के लेबल तैयार कर प्रत्येक नमुना पर लेबल चिपकाए एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सिरीयल नम्बर **के–1142** दर्ज किया। प्रत्येक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर कराये और जार का अलग–अलग खाकी कागज में लेपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ गंगानगर की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप **के–1142** नियमानुसार चारो नमूनो पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार–चार जगह ब्रास सील से मोहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्व पदार्थ का विवरण **के–1142 घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** लिखकर हस्ताक्षर कियें एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्त्ता हुकमचन्द अरोड़ा ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/346/एक्ट/2020/348 दिनांक 24.11.2020 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **के–1142 घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** (Sub-Standard Food) होना पाया गया। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त श्री अमीत कुमार खुराना पुत्र श्री मंगतराम खुराना, मैसर्स मंगतकुमार–अमीतकुमार मैन बाजार चूनाव जिला श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 09.11.2021 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि दिनांक 13.11.2020 को मेरी दुकान से **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** का नमूना लिया गया था जो जांच बाद किसी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक नहीं पाया गया। कुछ मामूली प्वाइंट में कमी बताया गया है जो जांच करने में भी हो सकता है। अतः निवेदन है कि मै छोटा विक्रेता होने के कारण मुझे माफ करने की कृप्पा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड)** का सैम्पल **के–1142** जांच रिपोर्ट क्रमांकः–एलएस/346/एक्ट/2020/348 दिनांक 24.11.2020 द्वारा सब (Sub-Standard Food) होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) का उल्लधन किया है जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। जिसमें अधिकतम 5,00,000 रूपये की शास्ति का प्रावधान है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि दिनांक 13.11.2020 को मेरी दुकान से **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड** का नमूना लिया गया था जो जांच बाद किसी प्रकार से स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक नहीं पाया गया। कुछ मामूली प्वाइंट में कमी बताया गया है जो जांच करने में भी हो सकता है। अतः निवेदन है कि मै छोटा विक्रेता होने के कारण मुझे माफ करने की कृप्पा करें।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of " **Ghee(Haryana King)"** bearing Code No. and Sr. No. **K-1142** of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is Sub-Standard Food as it does not conform to the prescribed standard of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Addivtive) Regulations, 2011. की जॉच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त अमितकुमार खुराना पुत्र श्री मंगतराम खुराना – फर्म मंगतकुमार–अमित कुमार, मैन बाजार चूनावढ जिला श्रीगंगानगर को एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः अभियुक्त अमित कुमार खुराना को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत राशि रूपये 50,000–00 (अखरे रूपये पचास हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में **घी–हरियाण किंग ब्राण्ड)** बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.11.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर